

फर्द अहकाम

माया देवी बनाम रथाली राम

या / वर्ष 143/2020 : पार्थना पत्र / 20

नांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>29.7.2021 :- वकील पार्थी उप. / परोक्षर सरकार उप. / व इन्तजार तबकी अप्रार्थीगण दिनांक 5-8-2021 को पेश को अपार्थी से 1, 6 की तरफ से एडवोकेट श्री भूषेरा जैन उप. रहे। तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा। अपार्थी 2, 3, 4, 5 की तबकी जाए</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i> उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	
4-8-21	<p>वकील पार्थी उप. / P-0. साक्ष्य स्थान तैय्य दिनांक अधीन है। गत आदेश की पालना में दिनांक 18-8-2021 को पेश को।</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i> प्रस्तुतकार उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	
14-9-21	<p>आज यह प्रार्थना पत्र मूल नोट में विद्वा प्रार्थना पत्र पेश करने पर मूल नोट के साथ पेश हुई प्रार्थना विद्वा स्वीकार किया जाता है तथा स्थायिक किया जाता है। पनावली के मूल आ-नि प्रार्थने की शुभ होकर हमकित्त दायर रहे। नम्बर है कि करी होकर दाखिल दफ्तर होवे।</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i> उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	<p style="text-align: right;">4-9-21 दिनांक 14/9</p> <p style="text-align: center;"><i>(Fingerprint)</i></p>